

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल

ग्वालियर (म0प्र0)

R-1625-II/17



- 1- राजकिशोर पिता मुन्नू लाल वर्मा उम्र 57 वर्ष पेशा नौकरी
- 2- मुद्रिका प्रसाद पिता चन्द्रिका प्रसाद तिवारी पेशा खेती
- 3- मदन प्रसाद पिता सूर्यपाल जायसवाल पेशा खेती

दुष्यन्त कुमार सिंह PS  
5/6/17  
प्रस्तुत

सभी निवासी सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0)

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

शिव प्रसाद जायसवाल तनय कालू जायसवाल ग्राम सरई तहसील सरई  
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

----- अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी  
महोदय तहसील देवसर/सरई जिला सिंगरौली  
(म0प्र0) के प्र0 क्र0 83/अपील/2016-17 में  
पारित आदेश दिनांक 09.03.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :-

दिनांक 07.12.2015 को तहसीलदार तहसील सरई जिला सिंगरौली  
म0प्र0 के द्वारा जरिये प्रकरण क्र0 33/अ-5/2015-16 आदेश दिनांक  
07.12.2015 को आराजी नम्बर 2040/16/1/1 राजकिशोर वगैरह

3

दुष्यन्त कुमार सिंह  
एडवोकेट  
राजस्व मण्डल एवं रेवेन्यू डेप्ट  
ग्वालियर-3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/सिंगरौली/भू0रा0/2017/1625

राजकिशोर आदि

विरुद्ध

शिव प्रसाद जायसवाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री डी0एस0 चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील देवसर/सरई जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 83/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09-3-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right">             (आरुण कुमार जैन)            सदस्य 18/02/2019         </p>	